अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 07/2022 वीं बैठक दिनांक 27.07.2022 का कार्यवाही विवरण :–

भवन मानचित्र समिति–(ले–आउट प्लान) की 07/2022 वीं बैठक दिनांक 27.07.2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. सचिव, श्री किशोर कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. उपायुक्त उत्तर, श्री हरिताभ आदित्य, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. निदेशक आयोजना, श्री पी.आर. बेनीवाल, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावली में एजेण्डा के बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

एजेण्डा संख्या : 1

प्रस्तुत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 04/2021 वीं बैठक दिनांक 25.06.2021 के प्रस्ताव सं. 4 (प्रति संलग्न) में राज्य सरकार द्वारा जारी 90–क के आदेश दिनांक 10.08.2020 के क्रम में राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 18 मीटर रखे जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। तदोपरान्त प्रकरण दिनांक 09.12.2021 को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक प.1(49)नविवि/अविप्रा/2021, दिनांक 14.06.2022 में निर्देशित किया गया कि "समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित राजस्व रास्ते की चौड़ाई 18 मीटर किये जाने का निर्णय लिया गया है, चूंकि जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–3) में उक्त राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 24 मीटर निर्धारित हैं, अतः प्रकरण में जोनल प्लान अनुसार राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 24 मीटर रखे जाने हेतु भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की बैठक में समिति द्वारा संशोधित निर्णय लिया जाकर प्रकरण पुनः संशोधित स्थल मानचित्र संलग्न कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे"।

निर्णयः– **समिति द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लेखित निर्देशानुसार विचार विमर्श कर पूर्व में निर्धारित 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार को जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–3) अनुसार 24 मीटर किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 24 मीटर मार्गाधिकार में आने वाली भूमि को प्रार्थी द्वारा निःशुल्क समर्पण करना होगा।**

शेष निर्णय बैठक दिनांक 25.06.2021 (04/2021) के अनुसार यथावत रहेगा।

यह बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित है।

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

आयुक्त
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

उपायुक्त उत्तर
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा. / प.3 / नियोजन शाखा / 2022 / 2175-81 दिनांक : 27-7-2022

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर / दक्षिण / किशनगढ़ / पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

O/C

F:\E\Deepak devnani\LP 2022-23\LP-07 AGNDA\LP AGENDA 07 nirnay.doc